न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... दिनांक ...

न0 15/2024

जिला गंगापुर

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. सुगन पुत्र तेजराम जाति प्रजापत निवास चूरपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(सायल)

बनाम

1. मंतोष पुत्र तेजराम
2. रोशन पुत्र तेजराम

समस्त जाति प्रजापत निवासी चूरपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

3. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
4. उप पंजीयक टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट सायल

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट गैरसायल न0 1 व 2

निर्णय दिनांक 22.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चूरपुरा ...आराजी ख0न0 10/0.15, 12/0.20, 187/0.09, 236/0.38, 238/0.49, 239/0.43, 240/0.18, ...0.23, 247/0.03, 248/0.03, 252/0.62, 253/0.21, 254/0.21, कुल किता 13 कुल रकवा 3.25 है0 ...सायल बहिस्सा 1/15 का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदारान ...यलान व मूल दावे के प्रतिवादीगण हिस्सेदार खातेदार है। ख0न0 11/0.28, 27/0.08, ...0.03, 28/0.21, 281/0.33, 30/0.15, 32/0.25, 33/0.30, 34/0.25, 35/0.21, 42/0.02, 43/0.10, ...04, 7/0.13, 788/17/0.04, 8/0.30, 9/0.25 कुल किता 17 कुल रकवा 2.97 है0 मे सायल ...ा 1/15, तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदारान गैरसायलान व मूल दावे के प्रतिवादीगण ...दार खातेदार है। सायल व मूल दावे के प्रतिवादीगण को अपने बुजुर्गान से विरासत मे प्राप्त ...मि है, जिन्होने वर्षो पूर्व बाहमी बटवारा कर अलग रकवा बनाकर डौल मेड कर काबिज होकर ... करते चले आ रहे है। वर्णित आराजीयात सायल व गैरसायलान तथा मूल दावे के ...दीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है तथा बाहमी बटवारे मे सायल को ख0न0 253 ... प्राप्त हुये है, इसलिये आये दिन गैरसायलान सायल मे विवाद बना रहता है तथा आपस मे ...रहता है इसलिये आराजीयात का कानूनन बटवारा करवाना आवश्यक हो गया है।

बॉका दिनांक 01.04.2024 को सायल अपने बाहमी बटवारे मे आये ख0न0 253, 254 ...की फसल की देखभाल कर रहा था कि अचानक गैरसायलान मंतोष व रोशन आ गये और ...लगे कि हमने रामसहाय से जमीन खरीद ली है तथा हम ... मे आधा हिस्सा ...स्ते की तरफ है पर बाउन्ड्रीवाल करेगे तथा तुमको पीछे का ... तो सायल ने कहा ...ईयो मेरा रास्ता ही बन्द हो जावेगा पहले से ... आधे भाग ...खे है। आप ऐसा मत करो और मे और तुम तहसील मे ... करा लेते है। उसक... ...आप मकान बनवा लेना तो वो नाराज हो गये और कहा कि हम ...ई बटवारा नही करायेगे ...मुख्ता निर्माण कर कब्जा करेगे इस प्रकार यदि गैरसायलान अपनी गैरकानूनी कुचेष्टा मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

[..]मयाब हो गये तो सायलान को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी, इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना [..]श्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय [..] का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई [..] किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय [..] हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान बावत अस्थाई [..]धाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द [..]ा जावे कि ग्राम चूरपुरा की आराजी ख0न0 253, 254 से बेदखल नही करे नाही किसी अन्य से [..]वे। सायलान की भूमि पर कब्जा नही करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके पर किसी [..]र का निर्माण नही करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। [..]ायलान न0 3 व 4 उपस्थित, गैरसायल न0 1 व 2 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि [..]ल ने प्रार्थना पत्र के मद न0 2 मे तेजराम हिस्सा 1/27 का, गैरसायल न0 13 मंतोष हिस्सा [..]30, गैरसायल न0 17 रत्तीराम हिस्सा 1/27, गैरसायल न0 21 रोशन हिस्सा 1/30, का [..]ायल न0 24 विश्रामलाल हिस्सा 1/27 का गैरसायल न0 27 हरेतीराम हिस्सा 1/27 के [..]दार स्वीकार है। मद न0 3 मे वर्णित आराजी मे तेजराम हिस्सा 1/27 का, गैरसायल न0 27 [..]राम हिस्सा 1/27, गैरसायल न0 24 विश्रामलाल हिस्सा 1/27 का, गैरसायल न0 17 रत्तीराम [..]ा 1/27 के रिकार्डेड खातेदार है जिसमे सायल का कोई संबध किसी प्रकार से नही है। [..] व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी होना स्वीकार है, सायल का ख0न0 253, 254 पर कब्जा [..]है, नाही सायल के हिस्से मे उक्त भूमि आई है, बल्कि ख0न0 253, 254 गैरसायलान न0 13 व [..]का मौके पर कब्जा नही है, जिसकी तारबन्दी कर रखी है इस प्रकार सायल का प्राईमाफैसी [..] साबित नही है नाही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। बल्कि उक्त तीनो बिन्दु [..]ायल न0 1 व 2 के पक्ष मे साबित है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर [..]न है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सायलान वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो [..]दोहरान करते हुये कथन किया कि अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल न0 1 को पाबन्द [..]या जावे कि वह सायलान के हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे नाही किसी अन्य से करावे। [..]लान की भूमि पर कब्जा नही करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके पर किसी प्रकार का [..]ण नही करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया [..] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ [..]य किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम चुरपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख0न0 253 [..] सायल 1/15 हिस्से का, गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/30, गैरसायल न0 [..] 1/30 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकाया हिस्से के [..] अन्य सहखातेदारान दर्ज रिकार्ड सायल [..] तथा हिस्से मे आये है, लेकिन सायलान ने उक्त [..] बटवारे मे मेरे कोई दस्तावेज पेश नही किया है।इन खसरा नम्बरान मे मुता[..] कब्जे के संबध मे [..] रिकार्ड गैरसायलान भी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मूल वाद बटवारे का पेश किया है जिसमे तय होना है कि सायल व गैरसायलान के हिस्से मे कौन–कौन से खसरा नम्बरान आये है। गैरसायलान वर्णित आराजीयात मे खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:45:57 IST
Reason: Self Attested

(मनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

उनवानः– सुगन बनाम मतोष

नं०:–15 / 2024

होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान व गैरसायलान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल व गैरसायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त तीनो बिन्दुओ के विवेचन से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः उभयपक्ष को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चूरपुरा की आराजी न0 10/0.15, 12/0.20, 187/0.09, 236/0.38, 238/0.49, 239/0.43, 240/0.18, 243/0.23, '/0.03, 248/0.03, 252/0.62, 253/0.21, 254/0.21, कुल किता 13 कुल रकवा 3.25 है0, 11/0.28, 0.08, 277/0.03, 28/0.21, 281/0.33, 30/0.15, 32/0.25, 33/0.30, 34/0.25, 35/0.21, 42/0.02, 0.10, 44/0.04, 7/0.13, 788/17/0.04, 8/0.30, 9/0.25 कुल किता 17 कुल रकवा 2.97 है0 मे र्माण कार्य नही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:57 IST
Reason: SelfAttested